

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

अ० सू० सं०-ऊर्जा स्था० विविधप्र०-20/2016- ०७

पटना, दिनांक:- २७-७-२०१८

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 (बिहार अधिनियम, 19, 2015) के प्रावधानों के अधीन श्री विनोदा नन्द झा, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को ऊर्जा विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनुज कुमार),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-श्री विनोदा नन्द झा, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग-सह-राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 113 दिनांक 09.07.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- २०१८.

पटना, दिनांक:- २७-७-२०१८

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।